मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

(संशोधनों सहित)

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग
ई-ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल-462001

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र. 472, भोपाल मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 1996 - आश्विन 9, शके 1918

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 15 सन् 1996

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

विषय - सूची

धाराएं :-

अध्याय - 1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएं

अध्याय- 2 मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

3. मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन
4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें
5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी
6. वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय
7. रिक्तियों, का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

अध्याय - 3 आयोग के कृत्य

9. आयोग के कृत्य

अध्याय -4 वित्त, लेखा और संपरीक्षा

10. राज्य सरकार द्वारा अनुदान
11. लेखे और संपरीक्षा
12. वार्षिक रिपोर्ट
13. वार्षिक रिपोर्ट का विधानसभा के समक्ष रखा जाना

अध्याय - 5 प्रकीर्ण

14. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना
15. नियम बनाने की शक्ति
16. कठिनाइयों को दूरी करने की शक्ति

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 15 सन् 1996

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

दिनांक 26 सितम्बर, 1996 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 1 अक्टूबर, 1996 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

अध्याय- १ प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'आयोग' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

(ख) 'सदस्य' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अल्पसंख्यक से अभिप्रेत है *

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का सं. 19) के प्रयोजन के लिए इस रूप में अधिसूचित किया गया समुदाय या

(दो) राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया कोई समुदाय

अध्याय- २ मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन

3. (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा

(2) आयोग एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें **

---

* मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम 2001 (क्रमांक 11 सन् 2001) के (म.प्र. राजपत्र- असाधारण- दिनांक 17 अप्रैल, 2001 में प्रकाशित) द्वारा धारा 2 के खण्ड (ग) में संशोधन किया जाकर कंडिका (दो) को सम्मिलित किया गया।

** मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 4 सन् 2003) के (म.प्र.राजपत्र- असाधारण- दिनांक 31 जनवरी, 2003 में प्रकाशित) द्वारा धारा 3 में संशोधन किया जाकर शब्द 'दो सदस्यों' के स्थान पर शब्द 'चार सदस्यों' स्थापित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, परन्तु अध्यक्ष तथा एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद को त्याग सकेगा।

(3) राज्य सरकार उपधारा 2 में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति–

क. अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है,

ख. किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है,

ग. विकृतचित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है,

घ. कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है,

ड. आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या

च. राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित में अपायकर हो गया है,

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नये नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5. राज्य सरकार आयोग के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये आवश्यक है।

वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय

6. अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी है, धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किए जाएंगे।

रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

7. आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही को आयोग में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और न ही वह अविधिमान्य होगा।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

8. 1. आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा।

2. आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

3. आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय - ३ आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9. 1. आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात-

क. राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना,

ख. संविधान में और संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्य को मानिटर करना,

ग. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना,

घ. अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना,

ड. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनको दूर करने के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना,

च. अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना

छ. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बंध में ऐसे समुचित अध्युपाय का सुझाव देना जो राज्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए,

ज. अल्पसंख्यकों से सम्बंधित किसी विषय पर और विशिष्टतया उन कठिनाइयों पर, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है राज्य सरकार को नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना, और

झ. कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यदि आयोग द्वारा की गई कोई सिफारिश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य से सम्बंधित किसी मामले पर की गई सिफारिश के विरुद्ध है तो उस दशा में राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश अभिभावी होगी।

2. आयोग को उपधारा (1) के उपखण्ड (ख) और (घ) में वर्णित कृत्यों में से किसी का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,

अर्थात:-

क. राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

ख. किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना,

ग. शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,

घ. किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना

ड. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, और

च. कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अध्याय - ४ - वित्त, लेखा और संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

10. 1. राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक विनियोग किये जाने के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय करेगी जितनी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किए जाने के लिये ठीक समझे।

2. आयोग उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से सदेय व्यय माना जाएगा।

लेखे और संपरीक्षा

11. 1. आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए।

2. आयोग के लेखाओं के संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा से संबंधित कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

3. महालेखाकार तथा उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बंध में होते हैं और विशिष्टतया बहियों, खातों,

सम्बंधित बाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज – पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा, ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख तक जैसा कि विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट का विधानसभा के समक्ष रखा जाना.

13. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ उसमें अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन और ऐसी सिफारिशों में से किसी के अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हों और संपरीक्षा रिपोर्ट, रिपोर्ट के प्राप्त होने, के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय – ५ प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना.

14. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

नियम बनाने की शक्ति

15. 1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

2. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:–

क. धारा 4 की उपधारा 5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें :

ख. धारा 9 की उपधारा 2 के खण्ड च के अधीन कोई अन्य विषय :

ग. वह प्रारूप जिसमें धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन लेखा रखा जाएगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा,

घ. वह प्रारूप जिसमें और वह तारीख जिस तक वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 के अधीन तैयार की जाएगी,

ड. कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए,

3. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

16. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 1996

क्र. 8975 – इक्कीस – अ(प्रा.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अधिनियम, 1996 क्रमांक 15 सन् 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी.पी.एस.पिल्लई, अतिरिक्त सचिव

MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 1996

THE MADHYA PRADESH RAJYA ALPASANKHAYAK AYOG ADHINIYAM, 1996.

TABLE OF CONTENTS

Section :

CHAPTER - I PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II - THE MADHYA PRADESH STATE COMMISSION FOR MINORITIES

3. Constitution of the Madhya Pradesh State Commission for Minorities.
4. Terms of Office and conditions of service of Chairperson and Members.
5. Officers and other employees of the Commission.
6. Salaries and allowances to be paid out of grants.
7. Vacancies. etc. not to invalidate proceedings of the Commission.
8. Procedure to be regulated by the Commission.

CHAPTER III- FUNCTION OF THE COMMISSION

9. Function of the Commission.

CHAPTER IV - FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

10. Grants by the State Government.
11. Accounts and Audit.
12. Annual Report.
13. Annual Report to be laid before the Assembly.

CHAPTER V - MISCELLANEOUS

14. Chairperson, Members and Staff of the Commission to be public servants.
15. Power to make rules.
16. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 1996

THE MADHYA PRADESH RAJYA ALPASANKHAYAK AYOG ADHINIYAM, 1996.

(Received the assent of the president of the 26the September, 1996 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 1st October, 1996.)

An Act to constitute a State Commission for Minorities and to provide for matter connected therewith of incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh State Legislature in the fortyseventh year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER - I PRELIMINARY

Short title extent and commence-ment

1. (1) This Act may called the Madhya Pradesh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam, 1996.
(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-
(a) "Commission" means the Madhya Pradesh State Commission for Minorities constituted under Section 3;
(b) "Member" means a Member of the Commission;
(c) "Minority" for the purpose of this Act, means ★
(1) A community notified as such by the Central Government for the purpose of the National Commission for minorities Act, 1992 (No. 19 of 1992).
(2) A community notified as such by the State Government.

CHAPTER - II THE MADHYA PRADESH STATE COMMISSION FOR MINORITIES

Constitution of the Madhya Pradesh State Commission for Minorities

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the Madhya Pradesh State Commission for Minorities to exercise the power conferred on and to perform the function assigned to it under this Act.
(2) The Commission shall consist of a Chairpoerson and Four members to be nominated by the State Government from amongst persons of eminece, ability and integrity: ★★

★ (C) of section 2 has been amended by the Madhya Pradesh Rajya Alpsankhyak Ayog (Sansodhan) Adhiniyam 2001 (no. of 2001) Published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinoary) Dated 17th April, 2001

★★ Sub section 2 of section 3 has been amended by the Madhya Pradesh Rajya Alpsankhyak Ayog (Sansodhan) Adhiniyam 2002 (no. of 4 of 2003). Published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinoary) Dated 31st January, 2003

Provided that the Chairperson and one member shall be from amongst the minority communities.

Terms of office and conditions of service of Chairperson and Members.

4. (1) The Chairperson and every member shall hold office for a term of three years from the date he assumes charg.

(2) The Chairperson or a Member may, be writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of Chair person or, as the case may be, of the Member at any time.

(3) The State Government shall remove a person from the office of Chairperson or a Member referred to in sub-section (2) if that person:-

(a) becomes an undicharged insolvent;

(b) is convicted and sentence to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involve moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the State Government so abused the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of minorities of the public interest;

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

Officers and other employees of the Commission

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and members shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants.

5. The State Government shall provide the Commission with a secretary and such other officers and employees as may be necessary of the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

6. The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the Administrative expenses, including salaries and allowances payable to the officers and other employees shall be paid out of the grants referred to the sub-section (1) of Section 10.

Vacancies, etc, not to invalidate proceedings of the Commission.

Procedure to be requlated by the Commission

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the Constitution.

8. (1) The headquarters of the Commission shall be at Bhopal.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and dicisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

CHAPTER III- FUNCTION OFTHE COMMISSION

Functions of the Commission.

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:-

(a) Evaluate the progress of the development of minorities under the state;

(b) Monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Parliament and the State Legislature;

(c) Make recommendations for the effective imple-

mentation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the State Government.

(d) Look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and takeup such matters with apropriate authorities under the control of the State Government.

(e) Cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;

(f) Conduct studies, research and analysis on the issue relating to socioeconomic and educational development of minorities;

(g) Suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the State Government;

(h) Make periodical or special reports to the State Government;

(i) Any other matter which may be referred to it by the State Government; Provided that if any recommentation made by the Commission is repugnant to the recommendation made by the National Commission for Minorities on any matter relating to the State of Madhya Pradesh then recommendation made by the State Commission shall prevail.

(2) The commission shall, while performing any of the functions mentioned in sub-clauses (a), and (d) of sub-section (1) have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-

(a) Summoning and enforcing the attendance of

any person from any part of the State and examining him on oath;

(b) Requring the discovery and production of any document;

(c) Receving evidence on affidavits'

(d) Requisitioning any public record or copy therof from any office;

(e) issuing commission for examination of witnesses and documents; and

(f) Any other matter which may be prescribed.

CHAPTER IV - FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT

Grants by the State Government

10. (1) The State Government, shall after due appropriation made by the State Legistature by law in this behalf, pay to the commission by way of grants such sums of money as State Government may think fit for being utilised for the purpose of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the function under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payble out of the grants referred to in subsection (1).

Accounts and Audit.

11. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of account in such form as may be presecibed by the State Government in consultation with the Accountant General, Madhya Pradesh.

(2) The Account of the Commission shall be audited by the Accountant General at such intervals as may be specified by him and any expenditure in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

(3) The Accountant General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts

of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General generally has connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

Annual Report

12. The Commission shall prepare, in such form and by such date for each financial year, as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy therof to the State Government.

Annual Report to be laid before the Assembly

13. The State Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, and the reasons for the non-acceptence, if any of such recommendations and the audit report to be Laid as soon as may be after the report is received, before the Lagislative Assembly.

Chairperson, Members and Staff of the Commission to public servants.

14. The Chairperson, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public sevants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

Power to make Rules.

15. (1) The State Government may, be notification in the Official Gazette, make ruls for carrying out the provisions of this Act.

(2) In Particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matter, namely:-

(a) Salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section

(5) of Section 4;

(b) any other matter under clause (f) of sub-section (2) of section 9;

(c) The form in which the account shall be maintained and the annual statement of account shall be prepared under sub-section (1). of Section 11;

(d) The form in and the date by which the annual report shall be prepared under section 12;

(e) Any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after is made before the legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisons of this Act the State Government may, by order published in the Official Gazette, Make such provisions, mat inconsistent with the provisions of the Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के लिए प्रियंका ऑफसेट द्वारा मुद्रित

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

भोपाल, दिनांक 19–3–1997

क्रमांक–मध्यप्रदेश रा.अ.आ./2/1997/1323–मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 क्रमांक 15 सन् 1996 की धारा 8 उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनिमय बनाता है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1– इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग प्रकिया विनिमय, 1996" होगा ।

2– ये विनिमय दिनांक 31 मार्च, 1997 से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं

एक अधिनियम से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

दो "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष.

तीन "सदस्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्कय आयोग के सदस्य

चार "सचिव" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सचिव

पांच "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

छः "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार.

3 आयोग का मुख्यालय

आयोग का मुख्यालय भोपाल होगा ।

4 सम्मिलनों का स्थान

सामान्यतः आयोग का सम्मिलन उसके मुख्यालय भोपाल में होगा और उसकी बैठकें भोपाल स्थित उसके कार्यालय में होगी, तथापि आयोग अपने स्व–विवेक से अपने सम्मिलन और बैठकें मध्यप्रदेश के किसी अन्य स्थान में, यदि वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे, कर सकेगा।

5 सम्मिलनों की नियतकालिकता

क आयोग सामन्यतः अवकाश के दिनों को छोडकर प्रत्येक माह में अपनी कम से कम एक बैठक करेगा जिसकी तिथि बैठक से एक सप्ताह पूर्व अध्यक्ष द्वारा तय की जायगी। स्वप्रेरणा से अथवा किसी भी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यो के अनुरोध पर किसी विनिर्दिष्ट मामले पर विचार करने के लिए अध्यक्ष आयोग को विशेष बैठक बुलाये जाने का निर्देश दे सकेगा।

ख बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य की उपस्थिति से होगी।

6 कार्यसूची

क आयोग का सचिव अध्यक्ष के परामर्श से आयोग की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची तैयार करेगा और उस पर सचिव की टीप तैयार करेगा जो यथासंभव अपने आप में पूर्ण होगी। कार्यसूची से संबंधित विनिर्दिष्ट नस्तियां सुलभ संदर्भ के लिए आयोग को उपलब्ध करायी जायंगी। सामान्यतःकार्यसूची और सचिव की टिप्पणियां बैठक से कम से कम दो दिन पूर्व अध्यक्ष और सदस्यों को उपलबध करायी जायगी, तथापि अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची के अतिरिक्त अन्य विषय पर बैठक में विचार किया जा सकेगा।

ख आयोग यदि किसी मामले की सुनवायी के लिए बैठक करता है, तो बैठक के दिन मामला सूची तैयार कर प्रकाशित की जायगी।

ग क– तथापि आयोग ऐसे मामलों पर विचार नहीं करेगा जो न्यायालय के विचाराधीन है।

ख– जो अस्पष्ट हैं या बिना किसी नाम के या छदमनाम से प्रस्तुत किये गये है।

ग– जो तुच्छ स्वरूप के हैं या आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर के हैं।

7 आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यावेदन या मामले पर कोई फीस या प्रभार नहीं लिया जायगा।

8 सामान्यतः आयोग को अभ्यावेदन/मामला लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तथापि स्व–विवेक से आयोग तार द्वारा अथवा फैक्स से भेजे गए अभ्यावेदन/मामले स्वीकार कर सकेगा।

9 आयोग को यह अधिकार होगा कि वह किसी अभ्यावेदन या मामले को बिना किसी सुनवाई के आंरभ में ही खारिज कर दें।

10 अध्यक्ष जहां उचित समझे प्रस्तुत अभ्यावेदन/मामले को सरकार को अथवा संबंधित अधिकारी को उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिये भेज सकेगा ओर उस पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिश सरकार को भेज सकेगा।

11 आयोग किसी मामले की सुनवायी के लिये बैठक करता है तो मामले से संबंधित अभिलेखों की प्रतियां आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करने पर किसी भी आवेदक को उपलब्ध होगी।

12 आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष की सहमति से सदस्य मौके पर जाकर किसी भी विषय का अध्ययन कर सकेंगे। ऐसे अध्ययन की संक्षिप्त रिपोर्ट आयोग के विचारार्थ रखी जायगी और यदि आयोग आवश्यक समझे तो ऐसी रिपोर्ट सरकार को अग्रेषित की जायगी।

13 बैठक का कार्यवृत

क आयेग की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत बैठक के तुरंत बाद सचिव अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायगा। अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद अनुमोदित कार्यवृत यथाशीघ्र आयोग के सदस्यों और सरकार को प्रेषित किया जायगा।

ख ऐसा प्रत्येक कार्यवृत अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद आयोग के सचिव द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित कर सुसंगत नस्ती में रखा जायेगा

14 अनुवर्ती कार्रवाई

बैठक के कार्यवृत पर अनुवर्ती कार्यवाही अध्यक्ष के निर्देशानुसार की जायगी और उसका विवरण आयोग की अगली बैठक में सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

15 वार्षिक प्रतिवेदन

एक अप्रैल से प्रांरभ होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिये आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें वर्ष के दौरान आयोग के कार्यकलापों का विवरण, महत्वपूर्ण पत्राचार और सरकार को की जाने वाली सिफारिशें शामिल होंगी। प्रतिवेदन की मूल प्रति पर अध्यक्ष और सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और सचिव अपनी सारभूत टिप्पणी के साथ इसे आगामी वर्ष के मई माह तक सरकार को प्रस्तुत करेंगे। वार्षिक प्रतिवेदन की मूल प्रति समूचित रूप से परिलक्षित की जायगी।

16 विशेष प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान कभी भी किसी विशिष्ट विषय पर, उसके महत्व को देखते हुये, आयोग सरकार को विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा। ऐसा प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद सचिव द्वारा सरकार को भेजा जायेगा।

17 वार्षिक प्रतिवेदन का मुद्रण

वार्षिक प्रतिवेदन और विशेष प्रतिवेदन के यथाशीघ्र मुद्रण के लिये सचिव उत्तरदायी होगा और यथासंभव शीघ्र इनके मुद्रण की व्यवस्था करेगा।

आयोग के आदेशानुसार

(एम.ए.खान)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
भोपाल

भेपाल, दिनांक 19–3–97

क्रमांक–म.प्र.रा.अ.आ./2/97/1324–भारत के सविंधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड(3)के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग प्रक्रिया विनियम,1996 का हिन्दी अनुवाद प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(एम.ए.खान)
सचिव

MADHYAPRADESH ALPASANKHAYAK AYOGA, BHOPAL

No.MPRAA/2/97/1323 BHOPAL, Dated 19.3.97

In exercise of the powers conferred by Section A, sub- Section 2 of the Madhya Pradesh Rajaya Alpasankhayak Ayog Adhiniyam, 1996 (No. 15 of 1996), The Madhya Pradesh Rajya Alpsankhayak Ayog (Madhya Pradesh State Minorities Commission) hereby frames the following regulations, nalely :

1. **Short title and commencement**
   (i) These regulations may be called the Madhya Pradesh Minorities Commission (Procedure) Regulation, 1996.
   (ii) These regulations will come into force with effect from the 31st day of March, 1997.
2. **Definitions**
   (a) 'Act' means the Madhya Pradesh Rajaya Alpasankhayak Ayog Adhiniyam, 1996 .
   (b) 'Chairman' means the Chairman of the Madhya Pradesh Rajaya Alpasankhayak Ayog
   (c) 'Member' means a Member of the Madhya Pradesh Rajaya Alpasankhayak Ayog.
   (d) 'Secretary' means the Secretary of the Madhya Pradesh Rajaya Alpasankhayak Ayog.
   (e) 'Commission' means the Madhya Pradesh Rajaya Alpasankhayak Ayog .
   (f) Government means the Government of Madhya Pradesh Bhopal.

3. **Head Quarters of the Commission**
   The Heas Quarters of the Commission Shall be E-Block, Old Secretariat, Bhopal-462001
4. **Place of Meeting**

The commission shall normally meets at its headquarters at Bhopal and its sitting will be held in the office of the Commission. How ever the Commission at its discretion may sit at any other place in Madhya Pradesh provided if considers it nescessary and expedient to do so

5. **Periodicity of meeting**

(a) The Commission shall ordinarlly hold at least one meeting every month on a date other than a holiday. The date of the meeting shall be fixed by the Chairman at least a week prior to the date of meeting. The Chairman may at his own volition or on a requisition made by a member or members direct the convening of a meeting to consider any specific matter.

(b) The quorum for the meeting shall comprise the Chariman and at least one member.

6. **Agenda**

(a) The Secretary of the Commission in sonsultation with the Chairman shall draw up the Agenda for each meeting and have a note prepared which, as posible shall be self contained. Files connected with the items on the Agenda shall be made avail able to the Commission for ready reference. Normally the agenda and the note of the Secretary shall be circulated to the Chairman and the Member's at least two days before the date of the meeting. However, the meeting may consider any other matter not included in the agenda with the permission of the Chairman.

(b) When the Commission convenes to hear any case a cause list shall be prepared and exhibited at the place of sitting.

(c) However, the Commission shall not consider matter which is :

(i) Subjudice in any court of Law :

(ii) Vague, anonymous or pseudonymous :

(iii) Frivolous or outside the purview of the Commission.

7. No fees shall be chargeable on any representation or case filed before the Commission.

8. Ordinarily a representation or case will be presented to the Commis sion in writing. However, in own discretion the Commission may accept a representation or case sent to it by telegram or fax.

9. The Commission shall have the right to dismiss any representation or case in limline.

10. The Chairman, may whenever he deems proper forward to the Government or officers concerned of the Government for their comments any representation or case and mae his recommendations after due consideration of such comments.

11. When the Commission sits to hear any case copies of documents connected with the case shall be made available to any applicant on payment of fees to be prescribed by the commission.

12. The Chairman or with the sonsentof the Chairman any Member may make a spot inspection to study any matter and where such a study is undertaken, a brief report shall be prepared for the consideration of the Commission. The Commission may forward such a report to the Government, if it considers it necessary to do so.

13. **Minutes of the meeting**

(a) The Minutes of each meeting of the Commission shall be recorded by the Secretary or any officer authorised by the Secretary immediately after the meeting. Such minutes shall be submitted to the Chairman for his approval and a upon approval be circulated to members of the Commission and forwarded to the Govenment.

14. **Follow up action**

Follow up action on the minutes of the meeting shall be taken as directed by the Chairman and a report on it shall be placed at the next meeting of the Commission by the Secretary.

15. **Annual report**

For each y ear beginning on 1st April and ending on 31st March, the Commission shall prepare annual report which shall contain an accounts of the work done by the commissionrecommendedactions made to the Government and important correspondences. The original copy of the report shall be signed by the Chairman and Members and the Secretary shall present it to the Govenment togather with his brief com ments not later then the month of May of the succeeding year. The annual report shall be properly preserved.

16. **Special report**

However, the Commission may send to the Government any Special report on any specific subject of importance at any time during the year. Such a report, after being signed by the Chairman shall be forwarded to the Government by the Secretary of the Commission.

17. **Printing of the annual report**

The Secretary of the Commission shall be responsible for the expeditious printing of the annual report and the special report and shall ensure their printing as early as possible.

(M.A.KHAN)
SECRETARY
Madhya Pradesh State Minorities Commission Bhopal

No. MPRAA/2/97/1324

In pursuance of part III of Article 348 of the Constitution of India an English translation of the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhayak Ayog (Procedure) Regulations, 1996 is hereby published.

(M.A.KHAN)
SECRETARY
Madhya Pradesh State Minorities Commission Bhopal